





फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सिरोही नगर मुकाम सिरोही

श्यामसिंह

बनाम राजसिंह

किस्म मुकदमा 212 R.Act

पुस्तक सं. 7/13

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हये
-------------	---------------------------------	--

है तथा कपारथी गज रत्न ने हक  
 हिससे रक्षित कर मर पर कपारि  
 होकर कपार व करके से सुविधा  
 का संवत्सन करके मयुरनीय  
 कर्तव्य गैर प्राथमिक कपार में  
 नडी होकर कपारथी गज कपार  
 से ज्ञान्य इतर होकर है तथा  
 कपार न बिकरे हु रवातवार को  
 जारी के कपार के निषेध से  
 धा १०५ नडी रक्षित जा सफल है  
 कित १०५ रक्षित समी के कपार  
 पर प्राथमिक कपार यह प्राथमिक  
 कपार 212 R.Act का स्वीकार  
 योग्य नडी हुके से कपार (स्वार्थ)  
 रक्षित जात है किनीय २००५०५०५  
 कपार सेवा केन्दु सरतरा में  
 जज मे रत्न म मे सुनाया।

राजसिंह  
 सहायक कलेक्टर  
 सिरोही (राज०)